# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 54/2011

| वादी :- | बनाम | प्रतिवादी :- |
|---|---|---|
| 1. राजस्थान सरकार जरिये<br>तहसीलदार, जैतारण<br>लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,<br>जिला-पाली (राज0) | | 1. शेराराम पुत्र बालुराम<br>2. नाथूराम पुत्र गोकलराम<br>3. गंगाराम पुत्र बालुराम<br>कौम-माली, निवासी-बैड़कलां<br>तहसील-जैतारण, जिला-पाली |

**राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** **तारीख रजू:. 28.02.2011**

उपस्थितः- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

**-:: निर्णय ::-** **दिनॉकः- 25/05/2015**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा-लौटोती, तहसील-जैतारण में ख.नं. 537/4 रकबा 15-15 किस्म बा0दो0 की आई हुई है। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थीगण ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थीगण अधिकारी है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर खनन कार्य लाईम स्टोन का अवैध रुप से किया जा रहा है। दिनांक 05/02/2011 को खनिज फोरमैन व पटवारी-लौटोती द्वारा संयुक्त रुप से उपरोक्त आराजी का मौका देखा गया तो मौका जांच (निरीक्षण) ख.नं. 537/4 में अवैध रुप से खनिज लाईम स्टोन के अवैध खनन पाये गये। जिसमें लगभग 7X5X2 मीटर तक मिट्टी हटाई गई। राज्य सरकार को इस तरह अवैध खनन कार्य करने से वितिय हानि पहुंचाई जा रही है। इस प्रकार प्रति0 के द्वारा खातेदारी भूमि में बिना अनुमति अवैध रुप से खनन कार्य कर खातेदारी शर्तो (अधिकार) का उल्लंघन किया गया एवं असुरक्षित खनन कार्य किया जा रहा है। जिसमें मानव जीवन को भारी हानि हो सकती है। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अवैध खनन) में उपयोग लेने की सूचना प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये नोटिरोज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 ने जबाबदावा पेश किया, जो शा0मि0 हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने मौजा-लौटोती, तहसील-जैतारण के ख.नं. 537/4 रकबा 7X5X2 मीटर किस्म बा0दो0 में लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ के उपयोग में ले रहा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया हैं। प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

## –::आदेश::–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 इस आशय की सादिर की जाती है कि मौजा–लौटोती, तहसील–जैतारण के ख.नं. 537/4 रकबा 7X5X2 मीटर किस्म बा0दो0 जो लाईम स्टोन (अवैध खनन) निकाल कर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रति0 के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रति0 को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रति0 को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 25/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–लौटोती पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner